

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :

(आवेदन पत्र के भाग—'अ', 'ब' एवं 'स' की फोटो कापी पर जारी किया जाए)

— — — — — वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखण्ड संख्या
— — — — — पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण पत्र का
परीक्षण श्री — — — — — (पदनाम) — — — — — विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक
— — — — — को कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन
मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विका
अधिनियम, 1973 की धारा—15 क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता
है।

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय की मुहर

दिनांक